


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या 483/2014.....जिला.....जोधपुर.....

उनवान- श्रीमती नेहा पत्नी प्रमोद कुमार जोधपुर बनाम राजस्थान सरकार जरिए उपपजीयक -प्रथम, जोधपुर व अन्य !

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
14.01.2015	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्रीमती आशा कुमारी, सदस्य</u></p> <p>प्रार्थी अभिभाषक श्री गिरीश पारीक, अप्रार्थी विभाग की ओर से श्री जमील जई, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. प.2(6)वित्त/कर/2014 -143 दिनांक 16.12.2014 का लाभ लेने हेतु प्रस्तुत निगरानी को विद्झा करने हेतु निवेदन किया गया। विद्धान उप राजकीय अभिभाषक ने इस प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत निगरानी को विद्झा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर निगरानी विद्झा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 483/2014 "सारहीन" हो जाने के कारण खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">               (आशा कुमारी)              सदस्य         </p>	